### पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

### बक्सर ट्रेडिंग कंपनी

#### बनाम

### बिहार राज्य एवं अन्य

2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.17358

के साथ

2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17453

07 अप्रैल 2023

## (माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद)

# विचार के लिए मुद्दा

क्या सहायक आयुक्त, वाणिज्यकर द्वारा जारी पुनर्मूल्यांकन आदेश और उससे उत्पन्न माँग पत्र अधिकार क्षेत्र से परे था?

## हेडनोट्स

विवादित आदेश तथा उसके परिणामस्वरूप जारी की गई मांगस्चना पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि आकलन पदाधिकारी को अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत पारित आदेश को पुनः खोलने/समीक्षा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। याचिका स्वीकृत की जाती है। भारत के संविधान द्वारा इस न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता केवल इस आधार पर समाप्त नहीं की जा सकती कि याचिकाकर्ता के लिए कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, विशेषकर जब प्राधिकारी की कार्रवाई, जैसा कि वर्तमान मामले में है, अधिकार क्षेत्र से परे हो। (पैरा 8, 10, 12)

#### न्याय दृष्टान्त

कमीश्वर, सेंट्रल एक्साइज, कलकता-। बनाम पंडित डी.पी. शर्मा, (2003) 5 एससीसी 288; एम.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम जहान खान,

### (2007) 10 एससीसी 88

# अधिनियमों की सूची

बिहार मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005; औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

# मुख्य शब्दों की सूची

वैट पुनर्मूल्यांकन; अधिकार क्षेत्रीय त्रुटि; आयुर्वेदिक औषिः; लेखा आपितः; धारा 33 बीवीएटी अधिनियमः; लोक लेखा समितिः; वैकल्पिक उपायः; समाप्त मूल्यांकन की पुनरावृत्ति

### प्रकरण से उत्पन्न

दिनांक 20.06.2018 को बक्सर सर्किल, वाणिज्य कर कार्यालय द्वारा जारी पुनर्सूल्यांकन आदेश और माँग पत्र।

### पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.17358 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री मनीष झा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री विकास कुमार, एस. सी.-11

(2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17453 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री मनीष झा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री विकास कुमार, एस. सी.-11

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गयाः अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

### माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

# पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.17358

बक्सर ट्रेडिंग कंपनी, जिसका कार्यालय आनंद भवन, चिरत्रवन, थाना-मॉडल थाना, डाकघर, शहर और जिला-बक्सर में स्थित है, एच. यू. एफ. के कर्ता के माध्यम से, अर्थात् राकेश सिंह, पिता- स्वर्गीय शिवाजी भाई।

..... याचिकाकर्ता

#### बनाम

- वाणिज्यिक कर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना-800001 के माध्यम से बिहार राज्य
- 2. वाणिज्यिक कर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना-800001।
- 3. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बक्सर, अंचल, बक्सर।

---- उत्तरदाता/ओं

के साथ

## 2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17453 -----

बक्सर ट्रेडिंग कंपनी, जिसका कार्यालय आनंद भवन, चिरत्रवन, थाना-मॉडल थाना, डाकघर, शहर और जिला-बक्सर में स्थित है, एच. यू. एफ. के कर्ता के माध्यम से, अर्थात् राकेश सिंह, पिता- स्वर्गीय शिवाजी भाई।

... ...याचिकाकर्ता

#### बनाम

 बिहार राज्य वाणिज्यिक कर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना-800001 के माध्यम से

- 2. वाणिज्यिक कर आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बा
- 3. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बक्सर सर्कल, बक्सर।

---- उत्तरदाता

### उपस्थितिः

(2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.17358 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री मनीष झा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री विकास कुमार, एस. सी.-11

(2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 17453 में)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री मनीष झा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री विकास कुमार, एस. सी.-11

-----

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद)

दिनांक: 07-04-2023

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

- 2. याचिकाकर्ता, उत्तरदाता संख्या 3 (कर-निर्धारण अधिकारी) द्वारा दिनांक 20.06.2018 के आदेश और उसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.06.2018 के माँग नोटिस के अंतर्गत याचिकाकर्ता की कर देयता के पुनर्मूल्यांकन से व्यथित है। यह पुनर्मूल्यांकन बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संक्षिप्त रूप में 'अधिनियम') के प्रति याचिकाकर्ता की देयता के संबंध में है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को कर और ब्याज के रूप में 70,21,262.81/- रुपये का भुगतान करना होगा।
- 3. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि याचिकाकर्ता 'हिमगेंगे आयुर्वेदिक तेल' का विक्रेता है। उसने कर के भुगतान के साथ निर्माता से सामान खरीदा है और कानून के तहत आवश्यक कर का नियमित रूप से भुगतान कर रहा है। महालेखाकार के कार्यालय द्वारा एक लेखा परीक्षा आपित उठाई गई है कि तेल एक दवा नहीं है, न ही अधिनियम की किसी भी अनुसूची में है, और इसलिए याचिकाकर्ता को तेल की बिक्री को एक अनिर्दिष्ट वस्तु के रूप में मानते हुए अंतर कर का भुगतान करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 33 के तहत लेखापरीक्षा आपित के आधार पर कारण-बताओ पेश किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और मूल्यांकन अधिकारी ने,

प्रस्तुतीकरण से संतुष्ट होकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकता-IV बनाम पंडित डी.पी. शर्मा (2003) 5 एससीसी 288 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, तेल को एक दवा माना और 4% की दर से कर लगाने को उचित ठहराया और दिनांक 04.11.2016 के आदेश द्वारा लेखापरीक्षा आपित को बंद करने की सिफारिश की।

- 4. उक्त आदेश को उसी मूल्यांकन अधिकारी द्वारा फिर से खोल दिया गया था। इस बार, लोक लेखा समिति की प्रतिवेदन के आधार पर, याचिकाकर्ता को 31.05.2018 को कारण-बताओ जारी किया गया था, जैसा कि रिट याचिका के अनुलग्नक-3 में निहित है। याचिकाकर्ता ने अपने पहले के स्पष्टीकरण को दोहराया। हालांकि, मूल्यांकन अधिकारी ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (संक्षिप्त '1940 के अधिनियम' के तहत) के तहत एक औषधीय उत्पाद के रूप में तेल को स्वीकार करने से इनकार करते हुए 20.06.2018 को एक आदेश पारित किया है। उन्होंने याचिकाकर्ता को तेल को एक अनिर्दिष्ट वस्तु के रूप में मानते हुए कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया है। याचिकाकर्ता का अधिवक्ता मूल्यांकन अधिकारी द्वारा मुद्दे को फिर से खोलने से व्यथित है।
- 5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दिया है कि फिर से खोलने/पुनर्विचार के लिए कानून की कोई मंजूरी नहीं है।
- 6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दिया कि यदि याचिकाकर्ता बिल्कुल भी व्यथित था, तो वैट अधिनियम के तहत ही याचिकाकर्ता के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था।
- 7. प्रतिद्वंदी दलीलों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय यह पाता है कि विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या अधिनियम की धारा 33 के तहत कार्यवाही में लेखा परीक्षा आपित के निपटारे के बाद, क़ानून इस मुद्दे को फिर से खोलने की अनुमित देता है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान है जो कर निर्धारण अधिकारी को ऐसे मुद्दे को फिर से खोलने की अनुमित देता हो।

- 8. इस प्रकार यह न्यायालय यह पाता है कि दिनांक 20.06.2018 का आक्षेपित आदेश और दिनांक 20.06.2018 का परिणामी मांग नोटिस पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि निर्धारण अधिकारी के पास अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित आदेश को पूनः खोलने/समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है।
- 9. इसिलए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपचार के संबंध में राज्य के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण से प्रभावित नहीं है। कानून, अब तक, अच्छी तरह से तय है कि उन मामलों में रिट क्षेत्राधिकार के बहिष्करण का नियम जहां वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, विवेकाधिकार का नियम है, न कि मजबूरियों में से एक। वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के बावजूद, रिट न्यायालय कम से कम तीन आकस्मिकताओं में अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एमपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम जहान खान (2007) 10 एससीसी 88 के मामले में निर्धारित किया गया है, उनमें से एक यह है कि जब कोई आदेश पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से बाहर हो।
- 10. इसलिए, वैकल्पिक उपचार की आपित पर मामले के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और भारत के संविधान द्वारा इस न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र को केवल इस तथ्य के लिए विभाजित नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के लिए एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, भले ही प्राधिकरण की कार्रवाई, जैसा कि तत्काल मामले में, अधिकार क्षेत्र के बिना है।
- 11. इसिलए, हमें दिनांक 20.06.2018 के आदेश के तहत उत्तरदाता सं.3 द्वारा याचिकाकर्ता के दायित्व के पुनर्मूल्यांकन को रद्द करने में कोई संकोच नहीं है, साथ ही दिनांक 20.06.2018 के परिणामी मांग नोटिस को भी रद्द करने में कोई संकोच नहीं है।
  - 12. रिट आवेदन की अनुमति है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(मधुरेश प्रसाद, न्यायमूर्ति)

राजिकशोर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।